UPSN010020822017

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– **डॉ० अमित वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

I.D. No. U.P 2412

सत्र परीक्षण संख्या– 238 सन् 2017

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

बनाम

1.राधेश्याम बिन्द पुत्र रामप्यारे
2.मनोज बिन्द पुत्र श्यामधर बिन्द
3.विकास पुत्र श्यामधर बिन्द
4.रमेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द
5.श्यामधर बिन्द पुत्र रामप्यारे बिन्द
6.श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्यामधर बिन्द
7.राकेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द
8.अनिल बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द
9.सुनील पुत्र राधेश्याम बिन्द
10.त्रिलोकी बिन्द पुत्र रामप्यारे
11.सत्य प्रकाश पुत्र शिवगोपाल बिन्द
12.सचिन पुत्र राधेश्याम बिन्द
13.श्रीमती कमलादेवी पत्नी सुनील कुमार
14. रामदास पुत्र भगवानदास
15. राजेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द
16.खुदखुदी बिन्द पुत्र शंकर बिन्द
17.विनय बिन्द पुत्र पंधारी बिन्द
18.पंचू बिन्द पुत्र त्रिलोकीनाथ
19.अरविन्द बिन्द पुत्र श्यामधर बिन्द
20.शिवधारी बिन्द पुत्र शिवमूरत बिन्द
निवासीगण मुंगरी थाना ऊँज जिला भदोही
21.जयकेश पाल पुत्र राजमणि पाल
22.राजमणि पाल पुत्र चिखुरी पाल
निवासीगण विश्वनाथपुर थाना ऊँज जिला भदोही
23.शिवगोपाल बिन्द पुत्र कुतरू बिन्द
24.लम्बू उर्फ़ बबलू पुत्र भगवान दास बिन्द
25.गुलाबधर पुत्र शिवमूरत बिन्द

26.पारस बिन्द पुत्र शिवमूरत बिन्द
निवासीगण मुंगरी थाना ऊँज जिला भदोही
..........अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–153 सन् 2017
धारा–147, 149, 323, 504, 506, 352 भारतीय दण्ड संहिता, धारा– 3(2)(va),3(1)द,3(1)ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
थाना– ऊँज, जिला–भदोही।

निर्णय

1. पुलिस थाना – ऊँज, जिला भदोही द्वारा अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू , गुलाबधर तथा पारस बिन्द के विरुद्ध आरोप–पत्र मु०अ०सं०–153 सन् 2017, धारा–147,149, 323, 504, 506, 352 भारतीय दण्ड संहिता, धारा– 3(1)द अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), थाना– ऊँज, जिला–भदोही, के अंतर्गत विचारण हेतु समक्ष न्यायालय प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी फूलचन्द्र पुत्र मट्टर चमार ग्राम मुंगरी थाना ऊँज जिला भदोही का निवासी है, दिनांक 17/09/17 को सुबह लगभग 8 बजे दिन में उसके घर पर राधेश्याम बिन्द पुत्र राम प्यारे निवासी मुंगरी द्वारा अपने परिवार एवं समर्थको के साथ मेरे घर पर चढ कर गाली–गलौच और जान से मारने की धमकी देते हुए चमार साले मादरचोद आदि कि भद्दी–भद्दी गाली देते हुये कहने लगे की तुम लोग मेरे ईट भट्टे निर्माण रोकने के लिए क्यो शिकायत किये हो और गांव मे बन रहे PM आवास मे धांधली की क्यो शिकायत कियो हो तुम्हे अगर जिन्दा रहना है तो अपनी शिकायत पत्र वापस ले लो वरना तुम्हारी खैरियत नहीं रहेगी राधेश्याम बिन्द पुत्र रामप्यारे के साथ– मनोज बिन्द पुत्र श्यामधर बिन्द, विकास पुत्र श्यामधर बिन्द, रमेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द, श्यामधर बिन्द पुत्र रामप्यारे बिन्द, कुसूम देवी पत्नी श्यामधर बिन्द, राकेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द, अनिल बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द, सुनील पुत्र राधेश्याम बिन्द, त्रिलोकी बिन्द पुत्र रामप्यारे, सत्यप्रकाश पुत्र शिव गोपाल बिन्द, सचिन पुत्र राधेश्याम बिन्द, कमला देवी पत्नी सुनील कुमार, रामदास पुत्र भगवान दास बिन्द, राजेश पुत्र त्रिलोकी बिन्द, सुरेश पुत्र त्रिलोकीनाथ बिन्द, खुदखुदी बिन्द पुत्र शंकर बिन्द, विनय बिन्द पुत्र पन्धारी बिन्द, पन्चू बिन्द पुत्र त्रिलोकी नाथ, अरबिन्द बिन्द पुत्र श्यामधर बिन्द, शिवधारी पुत्र शिवमूरत बिन्द, अमरजीत पुत्र पारस बिन्द, जयकेश पाल पुत्र राजमणि पाल, राजमणिपाल पुत्र चिखुरी पाल ग्राम–विश्वनाथपुर, शिवगोपाल बिन्द पुत्र कूतरू बिन्द, लम्बू पुत्र भगवानदास बिन्द, गुलाबधर पुत्र शिवमूरत बिन्द, पारस बिन्द पुत्र शिवमूरत बिन्द, निवासीगण–ग्राम–मुगरी, थाना–ऊँज, जिला–भदोही उपरोक्त लोगो द्वारा एक जुट होकर हाथ में लाठी, डण्डा/चाकू, हसिया, बरछा, बरछा,

कुल्हाड़ी, तमन्चा आदि हाथों में लेकर प्रार्थी के घर पर हमला बोल दिये बीच–बचाव करने के लिए प्रार्थी का लड़का अशोक आया तो उसे मनोज पुत्र श्यामधर, लोहे की सरिया से वार कर चोटहील कर दिया वे लोग जान बचाकर अपने घर में घुसकर 100 पर पुलिस को सूचना दिये मौके पर थाना ऊँज की पुलिस फोर्स पहुच कर मामला को शांत कराई ।

3. वादी मुकदमा के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना ज्ञानपुर में दिनांक 17.09.2017 को समय 10:45 बजे मुकदमा अपराध संख्या 153/2017, धारा–147, 148, 149, 323, 504, 506, 352, भारतीय दंड संहिता, व धारा– 3(1)द, 3(1)ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) में पंजीकृत किया गया व घटना की विवेचना की गई तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का मौका मुआईना किया गया, नक्शा नज़री तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू, गुलाबधर तथा पारस बिन्द के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा–147, 149, 323, 504, 506, 352 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3(1)द अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया, न्यायालय द्वारा जिसपर प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू, गुलाबधर तथा पारस बिन्द के विरुद्ध आरोप दिनांक 04.07.2023 को धारा 147, 149, 323, 504, 506, 352 भा.द.सं. व धारा– 3(2)(va), 3(1)द, 3(1)ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के अंतर्गत विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में 3 अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गए, अभियोजन साक्षी–1 फूल चंद्र, अभियोजन साक्षी–2 अशोक कुमार एवं अभियोजन साक्षी–3 मनोज कुमार। पुलिस प्रपत्र के औपचारिक सत्यता स्वीकार किये जाने के आधार पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये। वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र 29 ख प्रस्तुत कर अन्य साक्षीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा न्यायहित में दिनांक 12/02/2026 को स्वीकार किया गया।

6. अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर वादी प्रदर्श क–1 दाखिल किया गया।

7. अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने रंजिशन फसाया जाना व फर्जी मुकदमा बताते हुए अपने विशेष कथन में कहा है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

9. अभियोजन व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा और उसके लड़के को लाठी, डंडा और लोहे की सरिया से मारा पीटा, उन्हें धमकी दी, भद्दी–भद्दी गालियां दी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को सिद्धदोष किया जाए।

11. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने उपरोक्त कथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है और अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित किया गया है, जिनके द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है:–

13. **अभियोजन साक्षी क्रमांक–1** फूल चंद्र के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 17/09/2017 को सुबह 8 बजे दिन उसके घर राधेश्याम बिन्द, मनोज, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, कुसुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्यप्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ़ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविन्द बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ़ बबलू, गुलाब धर और पारस बिन्द आये और ईंट भट्टे का निर्माण हो रहा था रहा था। P.M. आवास के शिकायती प्रार्थना पत्र को लेकर बात चीत होने लगी शोर शराबे होने लगे पास के लोग इकट्ठा हो गए। शोर में किसी ने लाठी–डंडा तथा सरिया फेंक दिया जिससे भगदड़ मच गई। एक पत्थर पर गिर जाने से उसके लड़के अशोक कुमार और उसे, उसके परिवार वालों को चोटें आयी थी भीड़ में किस व्यक्ति ने भद्दी भद्दी गाली दिया था, भीड़ में किसने उसके लड़के को मारा पीटा, हमला किया था, गवाह ने उस व्यक्ति को न तो देखा था न पहचाना था। किस व्यक्ति ने सार्वजानिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था वह उस व्यक्ति को नहीं पहचानता है । सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था, याद नहीं है। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर प्रदर्श क–1, की गवाह ने पुष्टि की। गवाह ने अभियोजन कथानक के विपरीत ब्यान दिया, गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

14. **अभियोजन साक्षी क्रमांक–2** अशोक कुमार पुत्र फूलचंद्र के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 17/09/2017 को सुबह 8 बजे अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, कुसुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्यप्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ़ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविन्द बिन्द, शिवधारी बिन्द,

जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ़ बबलू, गुलाब धर और पारस बिन्द ये सभी आये बात चीत करने लगे बात चीत के दौरान किसी ने ईंट पत्थर चला दिया जिससे भगदड़ मच गयी भगदड़ में ईंट पत्थर पर गिर जाने से उसे चोटें आयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने न तो उसे मारा पीटा था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दिया था, न ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था। गवाह ने अभियोजन कथानक के विपरीत ब्यान दिया, गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक–3** मनोज कुमार पुत्र रामस्नेही के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 17.09.2017 को किसी बात को लेकर के राधेश्याम से और फूलचंद्र से कुछ बात चीत हो रही थी तभी वहां पर मनोज, विकास, रमेश, श्यामधर, राकेश, अनिल, सुनील, त्रिलोकी, सत्यप्रकाश, सचिन, कमला देवी, रामदास, राजेश, सुरेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविन्द बिन्द, अमरजीत, जयकेश, राजमणि, शिवगोपाल, लम्बू, गुलाबधर, पारस बिन्द ये सभी लोग आ गए, ये लोग न तो उसे मारे पीटे थे, न ही गाली गुप्ता दिए थे, न ही जान से मारने की धमकी दिए थे, न ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये थे, न ही जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला ही किये थे। गवाह ने अभियोजन कथानक के विपरीत ब्यान दिया, गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी फूलचंद्र वादी मुकदमा है, जिसके लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना हुई, परंतु उक्त साक्षी /वादी मुकदमा तथा अन्य साक्षीगणो ने अपनी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध बयान दिए हैं। अभियोजन साक्षी फूलचंद्र, वादी मुकदमा, ने अभियोजन द्वारा जिरह पर कथन किया कि यह कहना सही है कि न्यायालय परिसर के बाहर वादी मुकदमा और अभियुक्तगण के बीच में सुलह हो गई है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से नाजायज लाभ लेकर के न्यायालय में बयान दे रहे है। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण लाठी, डंडा, सरिया से मारे थे, जान से मारने के लिए हमला किये थे और सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये थे। गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने सी.ओ. साहब को नहीं दिया था उन्होंने कैसे लिख दिया इसकी वजह वह नहीं बता सकता। अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि समस्त अभियुक्तगण ने बल हिंसा का प्रयोग नहीं किया था, न ही लाठी, डंडा और सरिया से मारा पीटा था, न तो भद्दी भद्दी गाली दिए थे, न जान से मारने की धमकी दिए थे और न ही सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक गाली दिए थे। अभियोजन साक्षी 2 व 3 को दौरान अभियोजन द्वारा जिरह, जब उनके बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. पढ़कर सुनाया गया तो साक्षीगणो ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और अपने बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. से पूर्णतया इंकार किया है। अभियोजन साक्षीगण 2 व 3 ने भी अपनी अपनी जिरह में यह कथन किया है कि कोई विवाद नहीं हुआ था, अभियुक्तगण ने कोई मार पीट नहीं की थी, न गाली दी थी, न जान से मारने की धमकी दी थी, न जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था। धक्का मुक्की होने की वजह से ईंट पत्थर पर गिर जाने से चोटें आई थी। इस प्रकार साक्षीगणो के बयानों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से

परे साबित नहीं होता है, अपितु साक्षीगणो के बयानों से उसकी सत्यनिष्ठा एवं घटना संदेहजनक साबित होती है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

18. पत्रावली पर अशोक कुमार की आघात आख्या उपलब्ध है परन्तु जैसा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षीगणो व कथित चोटहिल द्वारा अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि भगदड़ मचने और धक्का मुक्की होने पर ईंट पत्थर पर गिर जाने से चोटें आयी, अभियुक्तगण ने उन्हें मारा पीटा नहीं था, न ही गाली दिया था, न जान से मारने की धमकी दिया था, न जान से मारने की नियत से हमला किया था, न सार्वजानिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गयी है।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 जो की वादी मुकदमा है तथा अन्य साक्षीगणो द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र उक्त के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। तथ्य के साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

20. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू, गुलाबधर तथा पारस बिन्द के विरूद्ध धारा–147, 149, 323, 504, 506, 352 भा.द.सं. व धारा– 3(2)(va), 3(1)द,3(1)ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)का आरोप सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू, गुलाबधर तथा पारस बिन्द उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–238/2017 में अभियुक्तगण राधेश्याम बिन्द, मनोज बिन्द, विकास, रमेश, श्यामधर बिन्द, श्रीमती कुशुम देवी, राकेश, अनिल बिन्द, सुनील, त्रिलोकी बिन्द, सत्य प्रकाश, सचिन, श्रीमती कमला देवी, रामदास उर्फ संतोष, राजेश, खुदखुदी बिन्द, विनय बिन्द, पंचू बिन्द, अरविंद बिन्द, शिवधारी बिन्द, जयकेश पाल, राजमणि पाल, शिवगोपाल बिन्द, लम्बू उर्फ बब्लू, गुलाबधर तथा पारस बिन्द, को मु०अ०सं०–153/2017, धारा–147, 149, 323, 504, 506, 352 भा.द.सं. व धारा– 3(2)(va), 3(1)द,3(1)ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण), थाना–ऊँज, जिला–भदोही के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर रहा है। दौरान विचारण उनकी ओर से दाखिल बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा अंतर्गत धारा–437 ए द०प्र०सं० के तहत 20,000/– रूपये की दो–दो जमानतें व व्यक्तिगत बन्धपत्र अन्दर सप्ताह निष्पादित किये जाये। जोकि अपील की अवधि तक के लिये प्रभावी रहेगें।

दिनांक–09.03.2026 (डॉ० अमित वर्मा)

I.D. No. U.P 2412

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट

भदोही–ज्ञानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–09.03.2026 (डॉ० अमित वर्मा)

I.D. No. U.P 2412

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट

भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.11 16:21:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court